न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 18 / 2024

बउनवान

मोहम्मद मंसूरी पुत्र अलानूर आयु 48 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी चहेड़िया, तहसील अन्ता, जिला बारां, राज०

(अपीलांट)

बनाम

राज० सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, उप–तहसील मिर्जापुर जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 12.07.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 04.01.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम देवपुरा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 0.08 है., किस्म–गै.मु. बरड़ा पर अतिक्रमी मानकर 40/– रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा पूर्व में ही छोड़ दिया था, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब कर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 04.01.2024 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को गलत तथ्यों के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा पूर्व में ही छोड़ दिया था। अपीलांट के विरूद्व झूंठी रिपोर्ट के आधार पर गलत निर्णय प्रदान किया है जो निरस्तनीय है। ... में मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.01 13:40:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

भूमि खाली है कोई अतिक्रमण नहीं है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत 2013(1)डीएनजे(राज.) पृष्ठ संख्या 233, आरआरडी 14.05.2013 पृष्ठ संख्या 307 तथा आरआरडी 14.02.2015 पृष्ठ संख्या 102 की छायाप्रतियां पेश की तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाये जाने की इस्तदुआ की।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर संवत 2079 में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 97 निर्णय दिनांक 20.02.2023 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 315 रकबा 0.08 है0 किस्म गै.मु.बरड़ा ग्राम देवपुरा पर सम्वत् 2079 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 97/23 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2023 से बेदखल किया जाना हल्का पटवारी के बयान एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, उप तहसील मिर्जापुर द्वारा प्रकरण संख्या 31/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.01 13:40:17 IST
Reason: SelfAttested